

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक:
प्रेषक,

यो0ब02 / 1-10 / 2025- 316 (ए) / यो0वि0, पटना, दिनांक

मार्च, 2026

मयंक वरवड़े,
प्रधान सचिव,

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

द्वारा:-

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं0-35 के विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष 1101-यात्रा व्यय में एवं विपत्र कोड-35-3451001010001 के विषय शीर्ष 2002-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में कुल ₹ 6,00,000/- (छः लाख) रुपये राशि के पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति।

आदेश:

बिहार वित्तीय नियमावली भाग (I) के नियम-489 के अनुपालन में स्वीकृत।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में विपत्र कोड-35-2053000940007 के विषय शीर्ष 1302-वाहन का ईंधन एवं रखरखाव में कुल ₹ 6,00,000/- (छः लाख) रुपये राशि की बचत होने के फलस्वरूप, विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष 1101-यात्रा व्यय में ₹ 5,00,000/- (पांच लाख) एवं विपत्र कोड-35-3451001010001 के विषय शीर्ष 2002-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में ₹ 1,00,000/- (एक लाख) अर्थात् कुल ₹ 6,00,000/- (छः लाख) रुपये राशि संलग्न पशिष्टि-1 के अनुसार पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अनुलग्नक :

यथोक्त।

Manish Janch Patra
(मयंक वरवड़े)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि:

यो0ब02 / 1-10 / 2025- 316 (ए) / यो0वि0, पटना, दिनांक
(1) वित्त विभाग, बजट शाखा / ससूचन शाखा, बिहार, पटना।

13 मार्च, 2026

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।

Manish Janch Patra
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

अतिरिक्त/अनुदान
के लिए आवेदन-पत्र
पुनर्विनियोग

संचिका सं०: यो0य0-2/1-10/2025
ज्ञाप सं० 1463

दिनांक 20/03/2026

मांग संख्या-35, मुख्य शीर्ष-2052 के उप शीर्ष-0010 के विषय शीर्ष-1101-यात्रा व्यय में ₹ 5,00,000/- (पांच लाख) एवं मांग संख्या-35, मुख्य शीर्ष-3451 उप शीर्ष-0001 के विषय शीर्ष-2002-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में ₹ 1,00,000/-(एक लाख) रुपये की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को उपस्थापित।

के प्रसंग में
के क्रम में

अतिरिक्त/अनुदान

2. _____
प्रस्तावित पुनर्विनियोग

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

मुख्य शीर्ष-2052 के उप शीर्ष-0010 के विषय शीर्ष-1101-यात्रा व्यय में एवं मुख्य शीर्ष-3451 उप शीर्ष-0001 के विषय शीर्ष-2002- कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के फलस्वरूप पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।

व्ययन

पदाधिकारी का पदनाम- सहायक निदेशक (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी), योजना एवं विकास विभाग, बिहार एवं सहायक निदेशक (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी), बिहार राज्य योजना पर्सद, पटना।


निबंधन

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो-

पुनर्विनियोग

विपत्र कोड-35-2053000940007 के विषय शीर्ष 1302-वाहन का ईंधन एवं रखरखाव में राशि की बचात होने के फलस्वरूप, विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष 1101-यात्रा व्यय में एवं विपत्र कोड-35-3451001010001 के विषय शीर्ष 2002-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के फलस्वरूप पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।


20/3/26
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

अनुसूची 53 - प्रपत्र सं० 212

माँग सं०-35

परिशिष्ट - I

माँग सं०-35

वृहत शीर्षक.....

मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष - 00,
लघु शीर्ष -090-सचिवालय, उप शीर्ष -0010-योजना एवं विकास विभाग,
विपत्र कोड - 35 - 2052000900010

मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष - 00,
लघु शीर्ष -101-योजना आयोग/योजना बोर्ड, उप शीर्ष -0001-बिहार राज्य योजना बोर्ड
विपत्र कोड - 35 - 3451001010001

मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष - 00,
लघु शीर्ष -094-अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष -0007-योजना तंत्र का सुदृढीकरण,
विपत्र कोड - 35 - 2053000940007

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है						शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है					
विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तात्कालीन प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अंतर्गत संभावित खर्च	अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तात्कालीन लिये गये प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अंतर्गत संभावित खर्च	प्रस्तावित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उप शीर्ष-0010, 1101-यात्रा व्यय	13,00,000	19,00,000	24,00,000	5,00,000	24,00,000	उप शीर्ष-0007, 1302-वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	4,52,00,000	64,00,000	59,00,000	5,00,000	59,00,000
उपशीर्ष-0001, 2002-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	3,00,000	3,00,000	4,00,000	1,00,000	4,00,000		4,52,00,000	59,00,000	58,00,000	1,00,000	58,00,000
	16,00,000	22,00,000	28,00,000	6,00,000	28,00,000		9,04,00,000	1,23,00,000	1,17,00,000	6,00,000	1,17,00,000

(क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जाएँ जिनसे इकाई संबंधित हो।

(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3

(ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।

(घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

(ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की आवश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा विवरण पीठ पर दिया जाय।

क्रमांक 92/23118 (1)